

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक प. 12 (1) साप्र/4/2015

जयपुर, दिनांक 22.12.15

प्रबंधक,
समस्त विश्राम भवन,
राजस्थान।

विषय:—नवीन व्यय मद के अन्तर्गत क्रय की संशोधित स्वीकृति के क्रम में।

निर्देशानुसार लेख है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी नवीन व्यय की स्वीकृति में यह अंकित किया गया है कि आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे तदोपरांत भी कुछ प्रबंधकों द्वारा जारी स्वीकृति में संशोधन हेतु लिखा गया है।

अतः समस्त प्रबंधकों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि नवीन व्यय की स्वीकृति के अनुसार ही क्रय की कार्यवाही संपादित करें तथा यदि स्वीकृति की सामग्री विश्राम भवनों में उपलब्ध है तो इस हेतु जारी स्वीकृति को निरस्त समझा जावे।




(एम.के.खींची)

शासन उप सचिव (क)

प्रतिलिपि:—

1. रक्षित पत्रावली



(एम.के.खींची)

शासन उप सचिव (क)